संख्या–339/26–ब0प्र0–2010–10(32)/99

प्रेषक,

भवनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण लखनऊ, दिनांकः 22 अप्रैल, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 में अनुदान संख्या–83 के अंतर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्राथियों के पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) के अंतर्गत किये गये आय व्ययक प्राविधान के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–365/स0क0/विकास/2010–2011,दिनांक 3–4–2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या –बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 जो समस्त विभागाध्यक्ष और प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष को पृष्ठांकित है, में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष–2010–2011 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या –83 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष की योजना अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्राथियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना)के अन्तर्गत किये गये आय–व्ययक प्रावधान रू0 60.00 करोड़ के सापेक्ष रू0 30,00,00,000/–(रूपये तीस करोड़ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

(1) उक्त योजना में स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष विभाग के लिए जिला योजना हेतु जनपदवार वर्ष 2010–2011 के लिए नियोजन विभाग द्वारा निर्धारित परिव्यय के अनुरूप ही जनपदवार आवंटन किया जायेगा और इस प्रकार किये गये जनपदवार आवंटन के आदेश की प्रति शासन/नियोजन विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951 / दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(3) संबंधित जिलाधिकारी नियोजन विभाग से उक्त धनराशि के सापेक्ष जनपदवार परिव्यय की उपलब्धतता के आधार पर ही धनराशि का आवंटन सुनिश्चित करेगें किसी प्रकार विचलन की स्थिति में वह स्वयं उत्तरदायी होगें। राज्य योजना आयोग (नियोजन विभाग) के परिपत्र संख्या–9/71/35–आ0 –2/ 91–92, दिनांक 16–8– 1999 के निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) यदि जनपद की जिला योजना वर्ष 2010–2011 में शासन से अनुमोदित धनराशि से आवंटन अधिक पाया जाय तो धनराशि का आहरण उसी सीमा तक अनुमन्य होगा,जिस सीमा तक जिला योजना में धनराशि शासन/नियोजन विभाग से अनुमोदित हो।

(5) विगत वर्ष 2008–09 एवं वर्ष 2009–10 में अवमुक्त की गयी धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये तथा वर्ष 2010–2011 में अवशेष धनराशि के अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव शासन को भेजते समय उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाये।

(6) धनराशि का व्यय वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं इस संबंध में निर्गत किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा । भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए जनजाति उपयोजना के लिए निर्धारित मानकों/ दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय तभी किया जायेगा, जब यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि विगत वर्षो में शासन द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि पी0एल0ए0/ डाकघर/ डिपाजिट खातों आदि में नहीं जमा है और पूर्व में अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि व्यय कर उपयोग/ उपभोग कर लिया गया है और आवंटित धनराशि के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त कोई धनराशि व्यय हेतु अवशेष नहीं पड़ी है।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग योजना में धनराशि व्यय किये जाने के लिए निर्धारित नियमावली/स्थायी आदेशों के अनुसार ही किया जायेगा।

2– उपर्युक्त योजना मद पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय व्यय 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान सं0–83 के अंतर्गत लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–015–अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा प्रार्थियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता (जिला योजना) –20–सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता– के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–951 / दस–2010– 231/2010 दिनांक 26–3–2010 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव ।

संख्या– 339 (1)/26–ब0प्र0–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद
3–समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण उ0प्र0।
4– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/ वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
6– राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2
7– निदेशक एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ/गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।